भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBA No. 2/2021

Dated:- 05.01.2021

No. 2015/AC-II/2/6

PFAs
All Indian Railways,

Sub:- **Accountal of deposits & expenditure under allocation EBR-(Special).**

Please refer to Budget Directorate's letter No. 2020-B-115 dated 01.01.2021 regarding RE 2020-21, wherein a new fund source EBR (Special) or EBR(S) has been introduced to finance Capital Expenditure of the Railways as a onetime arrangements specific to the financial year 2020-21 in view of adverse resource position due to Covid 19 Pandemic. The new fund source has been incorporated in sanctioned cost of works in Budget VPN System, where outlays were provided under Capital, RSF or RRSK in BE 2020-21. Expenditure bookings in the current year may be regulated as per revised outlay. The revised allocation for items funded through EBR under IPAS will be as under:-

Source	Expenditure		Expenditure Recoveries/Credits		Credits/Deposits Received to be booked under	
	Existing	Proposed	Existing	Proposed	Existing	Proposed
EBR-(P)	82XXXX-XX	82XXXX-XX (No change)	82XXXX-XX	82XXXX-XX (No change)	00844580	00844580 (No change)
EBR-(IF)	83XXXX-XX	83XXXX-XX (No change)	83XXXX-XX	83XXXX-XX (No change)	00844582	00844582 (No change)
EBR-IRFC (BO)	84XXXX-XX	84XXXX-XX (No change)	84XXXX-XX	84XXXX-XX (No change)	00844528	00844528 (No change)
EBR-S	--	85XXXX-XX	--	85XXXX-XX	--	00844685

Kindly take necessary action accordingly.

05/01/21

(Ajay Bartwal)
Joint Director Finance (CCA)
Railway Board

Copy for information:- MD, CRIS, New Delhi.

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

आरबीए सं. 2/2021

सं. 2015/एसी-II/2/6

दिनांक:- 05.01.2021

प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें।

विषय: ईबीआर - (विशेष) आबंटन के अंतर्गत जमा एवं व्यय का लेखा-जोखा।

कृपया आरई 2020-21 के संबंध में बजट निदेशालय के दिनांक 01.01.2021 के पत्र सं.2020-बी-115 का अवलोकन करें, जिसमें कोविड 19 वैश्विक महामारी के कारण प्रतिकूल संसाधन परिस्थिति को देखते हुए वित्त वर्ष 2020-21 में विशिष्ट रूप से एकबारगी व्यवस्था के रूप में रेलों के पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए एक नया निधि स्रोत ईबीआर (विशेष) या ईबीआर (एस) शुरू किया गया है। नए निधि स्रोत को बजट वीपीएन प्रणाली में निर्माण कार्यों की स्वीकृत लागत में सम्मिलित किया गया है, जहां बजट अनुमान 2020-21 में परिव्यय को पूंजी, आरएसएफ या आरआरएसके के अंतर्गत उपलब्ध करवाया गया था। वर्तमान वर्ष में व्यय की बुकिंग को संशोधित परिव्यय के अनुसार विनियमित किया जाए। आईपीएएस के अंतर्गत ईबीआर के माध्यम से वित्तपोषित मदों के लिए संशोधित आबंटन निम्नानुसार होगा:-

स्रोत	व्यय		व्यय वसूली/क्रेडिट		क्रेडिट/प्राप्त जमा को निम्नलिखित के अंतर्गत बुक किया जाना है	
	मौजूदा	प्रस्तावित	मौजूदा	प्रस्तावित	मौजूदा	प्रस्तावित
ईबीआर (पी)	82XXXX-XX	82XXXX-XX (कोई परिवर्तन नहीं)	82XXXX-XX	82XXXX-XX (कोई परिवर्तन नहीं)	00844580	00844580 (कोई परिवर्तन नहीं)
ईबीआर (आईएफ)	83XXXX-XX	83XXXX-XX (कोई परिवर्तन नहीं)	83XXXX-XX	83XXXX-XX (कोई परिवर्तन नहीं)	00844582	00844582 (कोई परिवर्तन नहीं)
ईबीआर आईआरएफसी (बीओ)	84XXXX-XX	84XXXX-XX (कोई परिवर्तन नहीं)	84XXXX-XX	84XXXX-XX (कोई परिवर्तन नहीं)	00844528	00844528 (कोई परिवर्तन नहीं)
ईबीआर-एस	--	85XXXX-XX	---	85XXXX-XX	--	00844685

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(अजय बर्तवाल)
संयुक्त निदेशक वित्त (सीसीए)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि सूचनार्थ:- प्रबंध निदेशक, क्रिस, नई दिल्ली।